

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय कोष एवं लेखा**

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर - 302005  
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल - aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ2 (ग)( कैडर रिव्यू) अलेसे ।। 222

दिनांक :- 14/7/2025

**आदेश संख्या : 45/2025-26**

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ1(11)एफडी/रेवेन्यू/96 पार्ट-II जयपुर दिनांक 28/04/2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13/08/2013 में दिये गये निर्देशों तथा शासन उप सचिव-तृतीय, नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.4(25) नविनि/2025-13233-7253230 दिनांक 30/05/2025 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की एक्स कैडर स्ट्रेन्थ में नगर विकास न्यास (एक्स काडर) की सूची में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

| क्र.स. | कार्यालय का नाम                                    | संशोधन पूर्व पद |            |           | संशोधन पश्चात् पद |            |           |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|
|        |                                                    | स.ले.अ.-I       | स.ले.अ.-II | क.लेखाकार | स.ले.अ.-I         | स.ले.अ.-II | क.लेखाकार |
| 1      | सचिव नगर विकास न्यास दौसा-बांड़ीकुई दौसा (8002168) | 0               | 0          | 0         | 1                 | 0          | 2         |

उक्त पद सृजन/समाप्ति के उपरान्त राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की नवीनतम कैडर स्ट्रेन्थ निम्नानुसार है:-

| विवरण                  | स.ले.अ.-I | स.ले.अ.-II | क.लेखाकार | योग   |
|------------------------|-----------|------------|-----------|-------|
| वर्तमान कैडर स्ट्रेन्थ | 2613      | 3870       | 5863      | 12346 |
| नवीन कैडर स्ट्रेन्थ    | 2614      | 3870       | 5865      | 12349 |

(बृजेश किशोर शर्मा)  
निदेशक एवं पदेन संयुक्त  
शासन सचिव

क्रमांक :- एफ2 (ग)( कैडर रिव्यू) अलेसे ।।

दिनांक :-

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
- संबंधित विभागाध्यक्ष .....
- उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
- निजी सचिव, निदेशक ।
- पदस्थापन सहायक अलेसे ।। II / III को विभागीय अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु

(के.जी.गुप्ता)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक ।)